Regarding compensation on acquisition of land by Electricity Companies

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे संसदीय क्षेत्र के एक विशेष मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया ।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र की पाकिस्तान से लगी हुई सीमा की तारबंदी वर्ष 1952 में हुई थी । जीरो-पॉइंट और तारबंदी के बीच में किसानों के खेत आए हुए हैं । इससे राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर की 1,050 किलोमीटर की सीमा के अंदर के किसान काफी प्रभावित हुए हैं । जीरो-पॉइंट से तारबंदी के बीच में किसानों को न तो जमीन का मुआवजा दिया गया और न ही खेती करने की परमीशन दी गई ।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि या तो किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए या उनको खेती करने की परमीशन दी जाए । जैसे पंजाब के अंदर किसानों को जीरो-पॉइंट और तारबंदी के बीच में खेती करने की अनुमति दी गई है, वैसे ही मेरे क्षेत्र के किसानों को भी परमीशन दी जाए ।

धन्यवाद ।